

# कार्यालय, प्रधानाचार्य, गाँधी पॉलीटेक्निक मुजफ्फरनगर।

## आदेश

श्री अंकित सिंह, प्रवक्ता सिविल संस्थागत के द्वारा आयोग के माध्यम से राजकीय नियुक्ति प्राप्त होने के फलस्वरूप संस्था से कार्यमुक्ति प्रत्यावेदन दिनांक 03.11.2022 के अनुक्रम में अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति से प्राप्त निर्देशों के अनुसार श्री अंकित सिंह को दिनांक 18.11.2022 की अपरान्ह से संस्था की सेवाओं से कार्यमुक्त किया जाता है।

( कुलदीप शर्मा )  
प्रधानाचार्य

पत्रांक/ 833 /कार्यमुक्त आदेश/2022-23

दिनांक: 10/11/22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री अंकित सिंह, प्रवक्ता सिविल संस्थागत को इस आशय से प्रेषित कि संस्था से कार्यमुक्ति पश्चात कोई लाभ देय नहीं होगा।

SELF ATTESTED

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पश्चिमी क्षेत्र, दौराला ( मेरठ )।
3. अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति गाँधी पॉलीटेक्निक, मुजफ्फरनगर।
4. लेखाकार/स्थापना संस्थागत।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।

( कुलदीप शर्मा )  
प्रधानाचार्य  
गाँधी पॉलीटेक्निक  
मुजफ्फरनगर

प्रभार प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने व्याख्याता सिविल अभियंत्रण, राजकीय पॉलीटेक्निक, बिजनौर का पदाधिकार शासनादेश सं०-1623/सोलह-2-2022 दिनांक 25-10-2022 एवं प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ०प्र०, कानपुर के पृ०सं०-372232-70/ई-2-236 (सिविल) (17) दिनांक 07-11-2022 के आधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, दिनांक 19-11-2022 की पूर्वाहन् में ग्रहण कर लिया है ।

प्रमाणित



( आरिफ महमूद )

अध्यक्ष

राजकीय पॉलीटेक्निक

बिजनौर ( उ० प्र० )

मोचक अधिकारी



( अंकित सिंह )

व्याख्याता सिविल अभियंत्रण

मुक्त अधिकारी

XXXX